न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 14/2018

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. श्री जिरावला पार्श्वनाथ जैन तीर्थ, जीरावल जरिये मंत्री		1. क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिरोड़ी 2. अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :
श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री नरेन्द्रसिंह देवड़ा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 15.9.2019

———0———

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तुत कर अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा अपील संख्या 56/2018 बअनवान क्षेत्रीय वन अधिकारी सिरोड़ी बनाम मंत्री श्री जीरावला पार्श्वनाथ जैन तीर्थ, जीरावल में पारित निर्णय दिनांक 14.09.2018 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ट्रस्ट एक सार्वजनिक प्रन्यास है एवं सार्वजनिक हितार्थ कार्यों में संलिप्त हैं। अपीलाण्ट को जिला कलक्टर सिरोही द्वारा राजस्थान भू राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालय, धर्मशालाओं व अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय भूमि आवंटन) नियम 1963 के तहत ग्राम जीरावल के खसरा नम्बर 426 व 434 में से कुल 18 बीघा भूमि आवंटन की गई। उक्त आवंटनशुदा आराजी की पैमाईश व सीमांकन के पश्चात उक्त आराजी पर अपीलाण्ट संस्था द्वारा निर्माण कार्य करवाया हैं। इस समबन्ध में पूर्व में वनपाल नाका जीरावला द्वारा दिनांक 13.06.2009 को आपत्ति प्रस्तुत की, जिस पर क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा मण्डल वन अधिकारी सिरोही को पत्र दिनांक 13.01.2011 द्वारा सूचित किया गया कि स्थानीय वन विभाग के गार्ड द्वारा वन भूमि पर अपीलाण्ट ट्रस्ट द्वारा निर्माण कार्य किए जाने की सूचना मिलने पर क्षेत्र का मौका मुआयना किया गया एवं पाया गया कि ट्रस्ट द्वारा वन भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। वन विभाग

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

द्वारा पूर्व से कब्जा चार दीवारी की बाउण्ड्री वॉल से किया हुआ है एवं अपीलाण्ट ट्रस्ट द्वारा जिला कलक्टर सिरोही द्वारा अनुमोदित नक्शे अनुसार निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा यदि ट्रस्ट द्वारा पूर्व में निर्मित वन विभाग की चारदीवारी को छोडकर निर्माण कार्य किया जाता है, तो वन विभाग को कोई आपत्ति नहीं हैं। इसके पश्चात दिनांक 24.03.2011 को क्षेत्रीय वन अधिकारी सिरोही एवं अपीलाण्ट के प्रतिनिधी द्वारा दिनांक 14.03.2011 को किए गए सीमाज्ञान अनुसार मौके पर उपस्थित हुए तथा मौके पर सीमाज्ञान अनुसार एंगल व वायर लगवाए गए तथा साथ ही यह भी पाया गया कि अपीलाण्ट को आवंटित भूमि वन विभाग की पूर्व में बनाई गई स्टोन वॉल, फेन्सिंग वन विभाग की सीमा से दूर हैं। क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा मण्डल वन अधिकारी को पत्र दिनांक 20.04.2011 द्वारा यह सूचित किा गया कि सीमाज्ञान का कार्य वन बन्दोबस्त अधिकारी जोधपुर से आए अमीनों द्वारा किया गया है, अपीलाण्ट ट्रस्ट द्वारा किया गया निर्माण कार्य उनकी आवंटित भूमि में ही किया गया हैं। इन समस्त तथ्यों के बावजूद भी क्षेत्रीय वन अधिकारी सिरोही द्वारा सहायक वन संरक्षक, सिरोही के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट द्वारा ग्राम जीरावल के खसरा नम्बर 426 रकबा 0.70 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। इस पर सहायक वन संरक्षक द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलाण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाण्ट द्वारा नियत तारीख पेशी पर जवाब प्रस्तुत किया, जिस पर परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 16.05.2018 को निर्णय पारित करते हुए क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज़ किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया, जबकि परीक्षण न्यायालय को जिन बिन्दुओं पर पुर्नविचार हेतु प्रकरण भिजवाया गया था, उन बिन्दुओं पर पूर्व में ही जांच एवं सन्तुष्टी के पश्चात निर्णय पारित किया गया था, जिसे अपास्त किए जाने का कोई विधिक कारण नहीं था। इस कारण प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज़ योग्य हैं। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी वन विभाग के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अपीलाण्ट ट्रस्ट द्वारा वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य करवाया गया है, जिसकी पुष्टि मौका पंचनामा दिनांक 06.02.2018 से होती हैं। उक्त अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय सहायक वन संरक्षक, सिरोही के समक्ष राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दायर करवाया, जिसमें दिनांक 16.05.2018 को निर्णय पारित करते हुए दस्तावेजात् को नजरअन्दाज करते हुए प्रकरण को खारिज़ किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसमें जैर अपील निर्णय पारित करते हुए अपील स्वीकार की गई एवं प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं हैं। अतः अपील सारहीन होने से खारिज़ करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलाण्ट का मुख्य उज्र यह रहा कि अपीलाण्ट द्वारा जो निर्माण कार्य करवाया गया है, वह अपीलाण्ट की आवंटनसुदा आराजी पर है, जिसे रेस्पोडेन्ट द्वारा वन विभाग की भूमि होना बताते हुए निर्माण कार्य हटवाने एवं भूमि से बेदखल करने का अनुतोष चाहा गया हैं। मूल रूप से प्रकरण का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि ग्राम जीरावल के खसरा नम्बर 426 रकबा 54.12 बीघा में से 15 बीघा भूमि अपीलाण्ट को जिला कलक्टर सिरोही द्वारा आवंटन की गई है, जिसका खसरा नम्बर 426/3 रकबा 15 बीघा अपीलाण्ट के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त खसरा नम्बर 426/2 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा भूमि गै0मु0 आबादी के रूप में अपीलाण्ट के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। इस प्रकार खसरा नम्बर 426 में से 17 बीघा 18 बिस्वा भूमि अपीलाण्ट ट्रस्ट के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड में जो भूमि है, वह खसरा नम्बर 849/426 रकबा 18 बीघा 6 बिस्वा दर्ज हैं। अपीलाण्ट को आवंटित भूमि एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में राजस्व रेकर्ड में दर्ज भूमि का योग करने पर 36 बीघा 4 बिस्वा होती हैं, जिसे खसरा नम्बर 426 के मूल क्षेत्रफल 54.12 बीघा में से कम करने पर खसरा नम्बर 426 में 18 बीघा 8 बिस्वा भूमि शेष रहती है, जिस पर रेस्पोडेन्ट मौन हैं। राजस्व नक्शे के अवलोकन से भी यह प्रकट होता है कि मूल खसरा नम्बर 426 की भूमि का राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं हैं। इस स्थिति में रेस्पोडेन्ट का यह कथन कि अपीलाण्ट द्वारा उनकी भूमि में अतिक्रमण किया गया है, स्वीकृत नहीं हैं। जहां तक निर्माण कार्य का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में पूर्व में सीमाज्ञान एवं सीमा निर्धारण की कार्यवाही अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट के समक्ष की जा चुकी है, जिसमें रेस्पोडेन्ट द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि अपीलाण्ट द्वारा जो निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, वह वन विभाग की सीमा से दूरी हैं। वन विभाग की सीमा पर एंगल व वायर लगवाए गए तथा साथ ही यह भी पाया गया कि अपीलाण्ट को आवंटित भूमि वन विभाग की पूर्व में बनाई गई स्टोन वॉल, फेन्सिंग वन विभाग की सीमा से दूर हैं। क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा मण्डल वन अधिकारी को पत्र दिनांक 20.04.2011 द्वारा यह सूचित किया गया कि सीमाज्ञान का कार्य वन बन्दोबस्त अधिकारी जोधपुर से आए अमीनों द्वारा किया गया है, अपीलाण्ट ट्रस्ट द्वारा किया गया निर्माण कार्य उनकी आवंटित भूमि में ही किया गया हैं। इसके पश्चात भी जो निर्माण कार्य हुए है, वे सक्षम अनुमति से किए गए हैं। अब जहां तक जैर अपील विवादित भूमि पर अतिक्रमण का प्रश्न है, तो उक्त भूमि की राजस्व रेकर्ड में तरमीम ही नहीं है तथा बिना तरमीम अथवा सीमांकन के यह कहना विधि सम्मत नहीं होगा कि अपीलाण्ट द्वारा वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण किया गया हो। क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा गूगल मेप में भूमि दर्शित करते हुए वन विभाग की भूमि पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण बताया है, जो सक्षम अधिकारियों/एजेन्सी द्वारा सीमांकन के अभाव में स्वीकृति योग्य नहीं हैं। इसी तथ्य को परीक्षण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16.05.2018 में रेखांकित किया है, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपास्त किया है, जो विधि विरूद्ध हैं। इस कारण विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा पारित जैर अपील निर्णय को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा अपील संख्या 56/2018 बअनवान क्षेत्रीय वन अधिकारी सिरोड़ी बनाम मंत्री श्री जीरावला पार्श्वनाथ जैन तीर्थ, जीरावल में पारित निर्णय दिनांक 14.09.2018 को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान सहायक वन संरक्षक सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 01/2017 में पारित निर्णय दिनांक 16.05.2018 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की सत्य प्रतियों के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.2.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही